

राज कुमार शैर्य  
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग  
श्री गदाधर आचार्य जनता कालेज,  
रामबाग, बिहटा, पटना  
B.A. II Year (H) Paper-III (Pol. Sci.)

विषय - बलवंत राय मेहता समिति (Balwant Rai Mehta Committee)

स्वतन्त्रता के पश्चात भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास लिए 1952 में "सामुदायिक विकास कार्यक्रम" एवं वर्ष 1953 में "राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम" को लागू किया।

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत गाँव के लोगों को सस्ते व उन्नत बीज और वैज्ञानिक तकनीकी प्रदान किये जाने का प्रयास किया गया परन्तु इन कार्यक्रमों में जन-भागीदारी न हो पाने के कारण ये अपेक्षित सफलता

को नहीं प्राप्त कर सकी / इसलिए भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सुझाव प्रदान करने हेतु "बलवन्त राय मेहता समिति" का गठन किया गया /

बलवन्त राय मेहता समिति ने "लोकतान्त्रिक - विकेन्द्रीकरण" की सिफारिशों के अन्तर्गत वकालत की जिम्मेदारी को लोकप्रिय रूप से "पंचायती राज" व्यवस्था के नाम से जाना जाता है / इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों निम्न प्रकार से हैं —

- 1 > समिति के द्वारा लिखतरीय पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया गया जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति और गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत की बात कही गयी /

27 ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होगा जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा।

37 ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की सभी जिम्मेदारियाँ इन तीनों संस्थाओं को प्रदान की जाएगी।

47 खण्ड स्तर पर कार्यकारी निकाय के रूप में पंचायत समिति कार्य करेगी जबकि सलाहकारी, समन्वयकारी एवं पर्यवेक्षण का कार्य जिला परिषद के द्वारा किया जाएगा।

57 जिलाधिकारी जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे

67 इन संस्थाओं के सुचारु रूप से संचालन के लिए इन्हें पर्याप्त आर्थिक संसाधन और शक्तियाँ प्रदान की जाय।

इस समिति की सिफारिशों के आधार

पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर

जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया

गया। तत्पश्चात् इन संघाओं को सब

आन्ध्र प्रदेश में लागू किया गया।

(4)